कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं -07752-493695

क्र/अशास./मान्य.नवीनी./RIG-T/2021/ 283 बिलासपुर, दिनांक 19.04.2022

प्रति,

प्राचार्य,
साधुराम विद्या मंदिर, कोसमनारा
वि.ख. रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ :– प्राचार्य, साधुराम विद्या मंदिर, कोसमनारा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) का पत्र क्र./SRVM/414/2021–22, दिनांक 30/10/2021.

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को इस कार्यालय के पत्र क्र./अशास./मान्य.नवीनी/RGT-T/20–41/2020–21/बिलासपुर, दिनॉक 30.12.2020 के तहत् एवं नोडल अधिकारी/प्राचार्य शा.उ.मा.वि. धनागर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर साधुराम विद्या मंदिर, कोसमनारा वि.ख. रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) **(यू डाईस –22041510604) को कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वी तक सत्र 2021–22 से सत्र 2023–24 के लिये अंग्रेजी माध्यम** (CBSE बोर्ड के अन्तर्गत) **विद्यालय** की शाला संचालन करने हेतु अनंतिम **मान्यता (नवीनीकरण)** प्रदान करने की संसूचना छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ. –02–39/2019/20 – दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन दिया जाता है :–

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानकों के सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन – प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/ प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक – पृथक कक्ष।
- स्टाफ,छात्र,छात्राओं के लिये पृथक – पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।

Principal
Sadhu Ram Vidya Mandir
Raigarh (C.G)

Manager
Sadhu Ram Vidya Mandir
Raigarh (C.G)

Scanned by CamScanner

- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र,
- बाधारहित पहुंच मार्ग , आदि
- कीडा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोग शाला की पृथक – पृथक उपलब्धता।

6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
8. आपके विद्यालय को **यू डाईस–22041510604** को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय /संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/ वि.खं. शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगें।
12. सत्र 2020–21 का आडिट रिपोर्ट 15 नवम्बर 2021 तक जमा करना होगा ।
13. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
14. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।

संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

पृ.क्र/अशास./मान्य.नवीनी./RIG-T/2021 223A बिलासपुर,दिनांक 19.04.2022

प्रतिलिपिः–

01. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

Principal
Sadhu Ram Vidya Mandir
Raigarh (C.G)

Manager
Sadhu Ram Vidya Mandir
Raigarh (C.G)

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक F-6-27/2017/20-तीन नया रायपुर, दिनांक

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह बाघे,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रेषिति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2 कम्प्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्0ली ।

विषयः- सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत- अशासकीय साधू राम विद्या मंदिर, कोसमनारा, रायगढ़, छ.ग. ।

=00=

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय साधू राम विद्या मंदिर, कोसमनारा, रायगढ़, (छ0ग0) को शिक्षा सत्र 2018-19 हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करता है ।

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक F-6-27/2017/20-तीन नया रायपुर, दिनांक 21.08.2017

प्रतिलिपिः-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।

...............02

for Manager
Sadhu Ram Vidya Mandir
Raigarh (C.G.)

Principal
Sadhu Ram Vidya mandir
Raigarh (C.G.)

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
//मंत्रालय//
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला रायपुर-492002
cg.school.edu.dept@gmail.com

//संशोधन आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 09/09/2022

क्रमांक एफ 2–39/2019/20–दो :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13/11/2019 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालयों को प्रशासनिक आधार पर सरल क्रमांक–30 एवं 31 में निम्नानुसार अधिकार एवं दायित्व सौंपे गये हैं –

क्रमांक	प्रकार	अधिकार/दायित्व	विवरण
30	प्रशासकीय	विभागीय मान्यता प्रदान करना।	01. हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्य. शाला के संबंध में संपूर्ण अधिकार। 02. कक्षा 1 से 12 के विद्यालय के लिए एक साथ मान्यता के प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पश्चात् एक साथ अनुमति प्रदान करना।
31	प्रशासकीय	अशासकीय संस्थाओं में नई या अतिरिक्त कक्षाये या सेक्शन खोलने के संबंध में।	अशासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मामले में संपूर्ण अधिकार ।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त कंडिका–30 एवं कंडिका–31 में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालयों को सौंपे गये अधिकार एवं दायित्व को पूर्व के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजित करता है तथा हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के नवीनीकरण हेतु शासन की विभागीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक नवीन शाला खोलने हेतु प्रथम बार विभागीय अनुमति की आवश्यकता होगी। नवीनीकरण हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

3/ शेष अधिकार एवं दायित्व यथावत रहेंगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
09/9/22
(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

...2

Principal
Sadhu Ram Vidya Mandir
Raigarh (C.G.)

Order Tiwari

Manager
Sadhu Ram Vidya Mandir
Raigarh (C.G.)

Scanned by CamScanner